डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

**No. 2021/HQ/Admin/RTI-95** **New Delhi: 26.02.2021**

**श्री धीरज कुमार शर्मा**
**पुत्र श्री सुभाष चंद्र शर्मा**
**गांव - सिथरोली , पोस्ट - हाथरस जंक्शन**
**जनपद -हाथरस -204102**
**उत्तर प्रदेश**

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।**

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 27.01.2021, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.02.2021 को प्राप्त हुआ।

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रेषित अपने दिनांक 27.01.2021 के आवेदन का अवलोकन करें, जिसमें आपने शिकायती पत्रों दिनांक 17.08.2020 एवं दिनांक 27.10.2020 के उपर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा माँगा है। इस सम्बन्ध में आपको ज्ञात हो कि आपके द्वारा प्रेषित शिकायती पत्रों का दिनांक 14.08.2020 एवं दिनांक 27.10.2020 है, जिसकी प्रतिलिपि आपने आर टी आई आवेदन दिनांक 27.01.2021 के साथ संलग्न की है, एवं जो श्री निर्मल कुमार सिन्हा (OMBUDSMAN), DFCCIL को सम्बोधित है, एवं इसकी प्रति को अलग-अलग अधिकारियों को भेजी गई है। इन शिकायती पत्रों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक ही मुद्दे पर सभी अधिकारियों को अलग-अलग पत्र भेजा गया। अतः, इन्हें सम्बंधित अधिकारी (GGM/MA/EC-I) को उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 08.02.2021 को भेजा गया। सम्बंधित अधिकारी द्वारा इसे आवशयक करवाई हेतू सम्बंधित विभाग /फील्ड ईकाई को प्रेषित किया गया। इस विषय में सम्बंधित अधिकारी द्वारा, सम्बंधित विभाग /फील्ड ईकाई से प्राप्त सूचना की प्रति जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में भेजी गई है। जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

**सुश्री आर० पी० छिब्बर**
**समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,**
**5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,**
**प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001**

**संलग्न:** 03 पृष्ठ

26/02/2021

**(एस. के. राय)**
**उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)**
**011-23454707**

**No. HQ/EN/GGM/MA/EC1/003** **Dated 26.02.2021**

**Sub :** Providing information w.r.t. original RTI application received under the RTI act, 2005

**Ref :** 1. RTI application dated 27.01.2021 of Sh. Dheeraj Kumar Shamra.
2.Dy. GM/Admin (PIO) note no. 2021/HQ/ADMIN/RTI-95 dated 08.02.2021

With reference to above, GM/EL/TDL has forwarded the reply to the above mentioned RTI, vide letter no. TDL/EN/RTI/212 (A) dated 15.02.2021.

The same is attached herewith, and is being forwarded for further necessary action please.

26/2/21

(SK Jain)
GGM/MA/EC-1

Dy. GM/Admin.(PIO)

Encl: RTI reply

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 15.02.2021

Dy.GM/Admin/PIO

**डी० एफ० सी० सी० आई० एल०**

**नई० दिल्ली,**

**विषय**:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पत्र श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली, पोस्ट हाथरस जंक्शन, जनपद- हाथरस, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में |

**सन्दर्भ**:- I आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 2020/HQ/ADMIN/RTI-95 दिनांक 08.02.2021 मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 12.02.2021.

II उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत/अलीगढ़ के पत्र स. TDL/ELECT./Rem.Letter/Y-2021/म-02/Letter दिनांक 15.02.2021.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I, के तहत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली, पोस्ट- हाथरस जंक्शन, जनपद- हाथरस, का पत्र प्राप्त हुआ | इसकी जानकारी हेतु उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत/अलीगढ़ को सूचित किया गया | सन्दर्भित पत्र सं. II, के तहत उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत/अलीगढ़ द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है |

15/2/21
(सुभाष चंद्रा)
महाप्रबन्धक/विधुत/टूंडला

**संलग्नक**:- 14 प्रष्ठ.

Office Of Chief Project Manager- 3/70, 3rd Floor, RPS Tower, Mayur Complex, Nagla Padi,
Near Talsi Cinema, NH-02, Agra -282002
Telefax: 0562-2005577 E-mail.abkhare@dfcc.co.in, Mob. 7060803000
Website www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

TDL/ELECT./Rem. Letter/Y-2021/M-02/Letter

Dated-15.02.2021.

सेवा में,

श्रीमान महाप्रबन्धक / विद्युत
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., आगरा।

विषयः– डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 132 के0वी0 डबल सर्किट ट्रान्समीशन लाइन के टावर फाउन्डेशन का निर्माण करने व नई संशोधित लाइन हेतु प्रार्थी धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, नि0 सिथरौली, पोस्ट–हाथरस जंक्शन, तहसील व जिला–हाथरस की जमीन पर दो टावर फाउन्डेशन का निर्माण करने व पुराने टावर फाउन्डेशन को विस्थापन उपरान्त फाउन्डेशन को यदास्थिति प्रार्थी की जमीन पर छोड आने व प्रभावित हुई जमीन व नष्ट हुई फसलों की शेष मुआवजा राशि का भुगतान आज तक न किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– i. HQ letter No. 2021/HR/ADMIN/RTI-95 Dated 08.02.2021.
ii. प्रार्थी श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा के शिकायत पत्र दिनाँक–27.01.2021.
iii. HQ/PG/TDL/2/2019 Dated: 26.09.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है, कि प्रार्थी धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, नि0 सिथरौली, पोस्ट–हाथरस जंक्शन, तहसील व जिला–हाथरस का मूल निवासी है। तथा प्रार्थी की जमीन का गाटा संख्या–372 (अ) है पर 132 के0वी लाइन के दो टावर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्त संदर्भ संख्या–(ii) के अनुसार रू0–1,00,000 चैक संख्या–256754 दिनाँक–26.03.2018 तथा दूसरा चैक संख्या–256795 रू0–1,00,000 दिनाँक–05.04.2018 को श्री विलोचन के नाम से देय चैक प्रार्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर / स्वीकृति द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं। प्रार्थी के अनुसार टावर संख्या–924/1 है, जो कि प्रार्थी के खेत में पहले से ही पुरानी रेलवे लाइन 132 के0वी0 का खडा था, तथा प्रार्थी को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है, कि टावर डिसमेन्टलिंग के केस में प्रार्थी के खेत में कोई फसल खडी नहीं थी। अतः प्रार्थी का फसल सम्बन्धी कोई भी नुकसान नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा मैसर्स एसोसियेटेड पावर स्ट्रैक्चर्स प्रा0लि0 के पते की जानकारी पत्र संख्या–HQ/PG/TDL/2/2019 Dated: 26.09.2019 के माध्यम से पूर्व में दी जा चुकी है।

प्रार्थी को *टेण्डर नं0–एच / ई.एल. / 132 के.वी.टी.आर.एल. क्रासिंग / ई.सी.–02 के पार्ट–II चेप्टर–VIII के पैरा संख्या–2.8.8 के III(b)* के अनुसार फसल नुकसान का भुगतान किया जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन से जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पारेक्षण लाइन से प्रभावित भू–स्वामी को भूमि अधिग्रहण से लाभान्वित होने तथा रेल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भूस्वामी को लाभान्वित होने के संदर्भ दिये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को यह अवगत कराना है, कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन *विशेष परियोजना माध्यम साधन* है। तथा डी.एफ.सी.सी.आई.एल. मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा 132 के0वी0 पारेषण लाइन बिछाने के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रार्थी के लाभान्वित के सम्बन्ध में कोई भी दिशा–निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त संदर्भ (ii) के अनुसार प्रार्थी द्वारा मांगे गये अधिकारियों के नाम व पदनाम की सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के 8.1.घ के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती हैं।

अतः सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

15/02/2021

(अन्शुल राजपूत)
उप परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अलीगढ

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर